वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय , जौनपुर

प्रेषक–
कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर

पत्रांक 12683/सामा0 प्रशा0/2026

दिनांक : 15.10.2026

कार्यालय आदेश

विषयः संचालित पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण, प्रवेश में सुधार तथा शैक्षणिक सत्र 2027–28 से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु समिति का गठन।

विगत 03 सप्ताह से अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप संचालित पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करने तथा कौशल विकास एवं उद्योग की आवश्यकताओं पर विशेष बल देते हुए नवीन पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में लगभग दो सप्ताह पूर्व माननीय कुलपति जी के साथ बैठक निर्धारित की गई थी। तथापि, अधिष्ठाता की ओर से अब तक कोई ठोस प्रस्ताव अथवा सार्थक प्रगति आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मा0 कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नलिखित समिति गठित की जाती है। समिति को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल कार्य प्रारम्भ करते हुए संचालित पाठ्यक्रमों के व्यापक पुनरीक्षण एवं नवीन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार करे–

क्र. सं.	नाम	दायित्व
1	प्रो. सौरभ पाल	संयोजक
2	प्रो. सुरजीत कुमार	सदस्य
3	प्रो. नूपुर गोयल	सदस्य
4	प्रो. रजनीश भास्कर	सदस्य
5	प्रो. रवि प्रकाश	सदस्य
6	प्रो. संदीप कुमार सिंह	सदस्य
7	प्रो. संतोष कुमार	सदस्य
8	प्रो. अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
9	डॉ. विक्रांत भटेजा	सदस्य
10	डॉ. संजीव गंगवार	सदस्य

समिति के कार्य एवं दायित्वः

1. तुलनात्मक अध्ययन एवं प्रमाणः AKTU, DTU, NSUT, लखनऊ विश्वविद्यालय, CSJMU तथा उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के वर्तमान पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक विनियमों एवं सम्बन्धित अधिसूचनाओं का गहन एवं अभिलेखबद्ध अध्ययन किया जाए। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कमियों, प्रस्तावित परिवर्तनों तथा उनके औचित्य का तुलनात्मक विवरण, स्रोत दस्तावेजों एवं उनकी तिथियों सहित प्रस्तुत किया जाए। उद्योग विशेषज्ञों, नियोक्ताओं, पूर्व विद्यार्थियों, वर्तमान विद्यार्थियों एवं विषय विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर अभिलेखबद्ध किए जाएँ।

2. संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण पुनरीक्षणः संकाय के समस्त संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों की पूर्ण संशोधित सेमेस्टरवार संरचना एवं विस्तृत पाठ्यविवरण तैयार किया जाए। इसमें विषयों के नाम एवं कोड, पूर्वापेक्षाएँ, व्याख्यान–ट्यूटोरियल–प्रायोगिक घंटे, क्रेडिट, अधिगम प्रतिफल, मूल्यांकन एवं परीक्षा योजना, प्रयोगशाला कार्य, परियोजनाएँ, इंटर्नशिप तथा अद्यतन अध्ययन सामग्री सम्मिलित हों। वर्तमान एवं प्रस्तावित संरचना का तुलनात्मक विवरण, विषय जोड़ने अथवा हटाने का औचित्य, संसाधनों की आवश्यकता, प्रस्तावित प्रभावी सत्र तथा वर्तमान विद्यार्थियों हेतु संक्रमण व्यवस्था भी दी जाए।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं रोजगारपरकताः प्रायोगिक एवं कौशल आधारित शिक्षण, बहुविषयक ऐच्छिक विषय, प्रासंगिक उभरती प्रौद्योगिकियाँ, उद्योग आधारित परियोजनाएँ, इंटर्नशिप, उद्यमिता एवं व्यावसायिक संचार को समुचित स्थान दिया जाए। विश्वविद्यालय के लागू अध्यादेशों तथा UGC/AICTE की अपेक्षाओं के अधीन, जहाँ अनुमन्य हो, माइनर, ऑनर्स, क्रेडिट हस्तांतरण एवं लचीली अध्ययन व्यवस्था के प्रावधानों का परीक्षण किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

4. कम प्रवेश के कारण एवं सुधार की कार्ययोजना: शैक्षणिक सत्र 2026–27 सहित पिछले तीन प्रवेश चक्रों के पाठ्यक्रमवार स्वीकृत प्रवेश क्षमता, आवेदन, वास्तविक प्रवेश एवं सीट भरने के प्रतिशत का विश्लेषण किया जाए। साथ ही विद्यार्थियों की निरन्तरता तथा प्लेसमेंट परिणामों का अध्ययन किया जाए। पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, शुल्क, सुविधाओं, प्रचार–प्रसार, विद्यार्थी प्रतिक्रिया एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों की समीक्षा करते हुए प्रमाण आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएँ। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए मापनीय प्रवेश लक्ष्य, आवश्यक कार्यवाही, उत्तरदायी व्यक्ति, समय–सीमा एवं संसाधन आवश्यकताओं सहित सुधार की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

5. शैक्षणिक सत्र 2027–28 हेतु नवीन पाठ्यक्रम: उद्योग की आवश्यकताओं एवं रोजगार की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर व्यवहार्य डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की प्राथमिकतायुक्त सूची प्रस्तावित की जाए। अध्ययन के क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एम्बेडेड सिस्टम, औद्योगिक स्वचालन, इलेक्ट्रिक वाहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सम्मिलित किए जा सकते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव में माँग के प्रमाण, लक्षित विद्यार्थी वर्ग, पात्रता, अवधि, प्रवेश क्षमता, पूर्ण पाठ्यक्रम संरचना, कौशल प्रतिफल, रोजगार भूमिकाएँ, उद्योग सहभागिता, शिक्षक एवं प्रयोगशाला की आवश्यकता, अनुमानित व्यय, वित्तीय व्यवहार्यता एवं अपेक्षित अनुमोदन स्पष्ट किए जाएँ। तत्काल प्रारम्भ किए जा सकने वाले एवं चरणबद्ध तैयारी अपेक्षित पाठ्यक्रमों को अलग–अलग दर्शाया जाए।

प्रस्तुतीकरण एवं आख्या प्रस्तुत करने की समय–सारणी:

समिति अपने सम्पूर्ण प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण निदेशक अकादमिक, निदेशक IQAC एवं माननीय कुलपति जी के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 4.00 बजे करेगी। संयोजक, कुलपति कार्यालय से समन्वय कर बैठक–स्थल सुनिश्चित करेंगे तथा सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। प्रस्तुतीकरण में संशोधित पाठ्यक्रम संरचनाएँ, नवीन पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव, प्रवेश सम्बन्धी विश्लेषण एवं समर्थनकारी प्रमाण सम्मिलित होंगे।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए समिति हस्ताक्षरित समेकित आख्या, सम्पादन योग्य पाठ्यक्रम दस्तावेज एवं प्रस्तुतीकरण, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 तक कुलसचिव को प्रस्तुत करेगी तथा उसकी प्रति निदेशक अकादमिक एवं निदेशक IQAC को उपलब्ध कराएगी। निदेशक अकादमिक, सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों तथा अन्य सक्षम वैधानिक निकायों के माध्यम से नियमानुसार परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही का समन्वय करेंगे, ताकि प्रस्ताव अक्टूबर 2026 के अन्तिम सप्ताह में विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों के समक्ष रखे जा सकें।

संयोजक तत्काल पाठ्यक्रमवार दायित्वों का आवंटन करेंगे, विचार–विमर्श का अभिलेख रखेंगे तथा प्रस्तावों का समयबद्ध संकलन सुनिश्चित करेंगे। समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय की शाखाएँ अपेक्षित आँकड़े एवं सहयोग शीघ्र उपलब्ध कराएँगी। यह कार्य समयबद्ध है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। किसी भी विलम्ब अथवा निर्देशों के अनुपालन में कमी की स्थिति माननीय कुलपति जी के संज्ञान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाएगी।

संस्तुतियों पर विश्वविद्यालय के लागू नियमों एवं नियामक अपेक्षाओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। नवीन पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ तथा संशोधित पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगा। यह आदेश माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

(डॉ. विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. निदेशक अकादमिक एवं निदेशक IQAC।
3. वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक।
4. समस्त अधिष्ठाता एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
5. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन अधिकारी।
6. माननीय कुलपति जी के निजी सचिव।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner